

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर, सिणधरी

क्रमांक:- ग्रा. से.शि/2025/ 465

प्रकरण सं.:- 294/2025
दिनांक:- 14.11.2025

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खरिया व मू.अ.
नि. खरिया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर
राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम नया खरिया
तहसील सिणधरी व जिला बालोतरा की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या 17
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	<u>नया खरिया</u>	17	257/160	<u>बाबुलाल</u> S/o <u>खेमराम</u>	<u>बाबुराम</u> S/o <u>खेमराम</u>

समदरसिंह भाटी
(समदरसिंह भाटी)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी

क्रमांक:- सम./2025/466-468
प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 14.11.2025

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध कराते।

2. प्रार्थी बाबुराम खेमराम खरिया तहसील सिणधरी को सूचनाथे।

3. रक्षित पत्रावली।



समदरसिंह भाटी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी